न्यायालय जिला कलक्टर, जोधपुर

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम की इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	पटेल बालकृष्ण पटेल व अन्य बनाम राज्य सरकार राज. गौवंशीय पशु अधिनियम 1995 प्रकरण संख्या: GCMS 2025/193	
29.07.2025	पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी के अधिवक्ता श्री नरेन्द्र राणा उपस्थित। संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार से है कि प्रार्थी पटेल बालकृष्ण पटेल पुत्र पटेल कृष्ण भाई व अन्य निवासीगण–नया दरवाजा अविदा तहसील झगडिया जिला भारूच (गुजरात) की ओर से प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5, 7 व 8 राजस्थान गोवंशीय पशु (वध का प्रतिषेध और अस्थाई प्रवर्जन या निर्यात का विनियमन) अधिनियम 1995 व 11(1)(घ) पशुओं के प्रति क्रूरता का निवारण अधिनियम 1960 के तहत प्रार्थीगण के जब्तसुदा 8 बैलों को जमानतनामा व सुपुर्दगीनामा पर रिलीज किये जाने हेतु पेश किया। प्रकरण दर्ज रजिस्टर (GCMS 2025/193) किया गया। अप्रार्थी थानाधिकारी–कुडी भगतासनी, जोधपुर से तथ्यात्मक रिपोर्ट जरिये पत्रांक 764 दिनांक 09.07.2024 प्राप्त हुई। प्रार्थीपक्ष के अधिवक्ता ने बहस में बतलाया कि प्रार्थी पटेल बालकृष्ण पटेल पुत्र पटेल कृष्ण भाई एवं अन्य द्वारा एक किराया वाहन को किराये पर लेकर गांव बलाया जिला नागौर से अपनी खेती के लिए 8 बैल यानि चार जोड़ी खरीद कर लाया था जिस खरीद के उनके पास वैध दस्तावेज है परन्तु पुलिस अज्ञात व्यक्ति की सूचना पर वाहन मय बैल को दिनांक 21.06.2025 पुलिस थाना कुडी भगतासनी जोधपुर द्वारा शताब्दी सर्कल पर रोककर वाहन को चैक किया तो उक्त वाहन मय वैल जब्त कर प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 0185/2025 अपराध अंतर्गत धारा 5, 8 राज. गो.वंश अधिनियम 1995 एवं धारा 11 (डी) पशु क्रूरता अधिनियम 1960 में वाहन में 8 बैलों को जब्त कर श्री कृष्णा बालाजी गौशाला सेवा समिति, महारानी हैण्डीक्राफ्ट के पीछे कुडी हौद, जोधपुर में पुलिस द्वारा भिजवा दिये गये। प्रार्थीगण उक्त 8 बैल को अपनी खेती के लिए वलाया जिला नागौर से वैध दस्तावेज के आधार पर खरीद किये जिसको राजस्थान से गुजरात ले जा रहे थे तथा बैलों के लिए जो वाहन था वह पर्याप्त था उसमें चारा वगैरा डाला हुआ था परन्तु पुलिस ने रिपोर्ट पर प्रकरण दर्ज किया जिसमें वाहन एवं प्रार्थीगण की जमानत ली जा चुकी है। बहस के अंत अधिवक्ता द्वारा जब्तसुदा 8 बैलों को जमानतनामा एवं सुपुर्दगीनामा पर रिलीज करने के आदेश किये जाने की स्तदुआ की। जिला कलक्टर, जोधपुर (राज.) लगातार........................	

न्यायालय जिला कलक्टर जोधपुर (राज.)

हमने पत्रावली का अवलोकन किया, बहस पर मनन किया तथा राजस्थान गोवंशीय पशु (वध का प्रतिषेध और अस्थाई प्रवर्जन या निर्यात का विनियमन) अधिनियम 1995 व राजस्थान गोवंशीय पशु (वध का प्रतिषेध और अस्थाई प्रवर्जन या निर्यात का विनियमन) (संशोधन) अधिनियम 2018 का अध्ययन भी किया। प्रार्थी के प्रार्थना पत्र पर थानाधिकारी कुडी भगतासनी से तथ्यात्मक रिपोर्ट मांगी गई। थानाधिकारी ने रिपोर्ट में अवगत कराया कि दिनांक 21.06.2025 को प्रार्थी आशकरण भाटी पुत्र पुखराज भाटी जाति घांची ने उपस्थित थाना होकर एक लिखित रिपोर्ट पेश की कि मैं हिन्दु शक्ति गो सेवा शक्ति जोधपुर में गो सेवा देता हुं, दिनांक 17.06.2025 को रात्रि करीब 10.00 पीएम के आस पास वाहन ट्रक नम्बर जीजे 21 वाई 0838 में गोवंश बछड़े थाने होकर जोधपुर से गुजरात की ओर ले जाने की सूचना पर हमारे द्वारा शताब्दी सर्कल पर रोक जा कर देखा तो ट्रक में कुल 8 बैल जो ठुस कर भरे हुये थे जिसके लिये वाहन में काई चराई पीलाई व्यवस्था नही थी इन बैलों को जबरदस्ती महु गया पैर से बांध कर ठुस ठुस कर गाड़ी में भरे हुये थे जिन की राजस्थान सीमा से बाहर गुजरात में पशु कत्ल खाने में वध हेतु ले जाने का सागने आने पर वाहन को रूकवाया जा कर गौशाला मे सुपुर्द किया उक्त सभी बैल कृषि प्रयोजनार्थ नही पाये गये वाहन में बैठे लोग के नाम बाल कृष्ण पटेल निवासी भारूच व सचिन मोरे निवासी नवसाई गुजरात ये उक्त बैलों को वध करने हेतु तस्करी की जा रही थी की रिपोर्ट करता हुं, कार्यवाही करे। रिपोर्ट पर प्रकरण संख्या 185 दिनांक 21.06.2025 धारा 5/8 राज. गो वंश अधिनियम 1995 (वध का प्रतिषेध और अस्थाई प्रवर्जन या निर्यात का विनियमन) एवं धारा 11 (डी) पशु क्रूरता अधिनियम 1960 में दर्ज कर अनुसंधान शुरू किया। दौराने अनुसंधान घटनास्थल निरीक्षण कर फर्द नक्शा, हालात मौका मुर्तिब कर शामिल पत्रावली किया गया एवं मुस्तगिस आशकरण व गवाह महिपालसिंह, हेमन्त तानाणा, रामनिवास, नेमाराम से तफ्तीश कर बयान अंतर्गत धारा 180 बीएनएसएस के तहत मुर्तिब कर शामिल पत्रावली किये गये तथा अप्रार्थी पटेल बालकृष्ण पटेल पुत्र पटेल कृष्णभाई एवं अन्य निवासी नया दरवाजा अविदा तहसील झगडिया जिला भारूच गुजरात व महेन्द्र भाई से पूछताछ कर अनुसंधान किया गया अप्रार्थी पक्ष के कुल 8 बैल पूर्व में सुपुर्दगी नामा पर बालाजी गौशाला झालामण्ड को सुपुर्द किये गये है। प्रकरण में अप्रार्थी पटेल बालकृष्ण पटेल पुत्र पटेल कृष्णभाई एवं अन्य निवासी नया दरवाजा अविदा तहसील झगडिया जिला भारूच, गुजरात व महेन्द्र भाई पटेल द्वारा नागौर निवासी नीमाराम व रामनिवास से बैल खरीदने के संबंध में किये गये एग्रीमेंट की प्रति प्राप्त कर शामिल पत्रावली की गयी। तथ्यात्मक रिपोर्ट में आगे बतलाया गया कि सम्पूर्ण अनुसंधान से प्रकरण हाजा में जब्तसुदा 8 बैलों की किसी प्रकार की तस्करी करने का मामला नही पाया गया है, उक्त बैलों को कृषि प्रयोजन के लिये खरीद करना पाया गया है। जब्तसुदा बैलों के संबंध में अनुसंधान पूर्ण किया जा चुका है, जब्तसुदा बैलों की अनुसंधान में कोई आवश्यकता नही है।

लगातार.....

न्यायालय जिला कलक्टर जोधपुर (राज.)

जिला कलक्टर, जोधपुर (राज.)

राजस्थान गोवंशीय पशु (वध का प्रतिषेध और अस्थायी प्रव्रजन या निर्यात का विनियमन) अधिनियम 1995 की धारा 7–अभिगृहित गोवंशीय पशु की अभिरक्षा और निपटारा–7(1) जब कभी तलाशी या अभिग्रहण के परिणामस्वरूप या निरीक्षण के परिणामस्वरूप या अन्यथा गोवंशीय पशु अभिगृहित किये गये तो अभिगृहित किये गये गोवंशीय पशु की अभिरक्षा, मामले का अंतिम निपटारा होने तक, सक्षम प्राधिकारी के आदेश से ऐसे पशुओं के कल्याण के लिए कार्य कर रही किसी भी मान्यताप्राप्त स्वैच्छिक एजेन्सी को या राजस्थान गोशाला अधिनियम 1960 के उपबंधों के अधीन शासित किसी गोशाला या किसी गोसदन को सौंपी जा सकेगी, उपधारा 7(2) जब कभी कोई मामला अंतिम रूप से निपटा दिया जाये तो गोवंशीय पशुओं की अभिरक्षा या स्थायी रूप से सौंपे जाने के बारे में आगे के आदेश सक्षम प्राधिकारी के द्वारा ऐसे निबंधनों और शर्तों के अध्यधीन रहते हुए जारी किये जायेंगे जो उचित समझी जावे तथा उक्त अधिनियम की उपधारा 7(5) में जब कभी इस अधिनियम के अधीन कोई भी गोवंशीय पशु अभिगृहित किया जाये तो सक्षम प्राधिकारी या खण्ड आयुक्त को, ऐसे पशु के कब्जे, परिदान, निपटारे या छोड़े जाने के संबंध में आदेश करने की अधिकारिता होगी और तत्समय प्रवृत किसी भी अन्य विधि में अन्तर्विष्ट किसी प्रतिकूल बात के होने पर भी, किसी भी अन्य न्यायालय, अधिकरण या अन्य प्राधिकरण को नही होगी, स्पष्ट किया गया।

चूंकि प्रस्तुत प्रकरण संबंधित थानाधिकारी की रिपोर्ट अनुसार पूर्व में ही अभिगृहित कुल 8 बैल सुपुर्दगीनामा पर बालाजी गोशाला झालामण्ड को सुपुर्द किये जा चुके है, अनुसंधान में जब्तसुदा 8 बैलों की किसी प्रकार की तस्करी का मामला नही पाया गया, उक्त बैलों को कृषि प्रयोजन के लिए खरीद पाया गया तथा जब्तसुदा बैलों के संबंध में अनुसंधान पूर्ण किया जाकर अनुसंधान में कोई आवश्यकता नही होना बताया। अतः धारा 7(5) में वर्णित "जब कभी इस अधिनियम के अधीन कोई भी गोवंशीय पशु अभिगृहित किया जाये तो सक्षम प्राधिकारी या खण्ड आयुक्त को, ऐसे पशु के कब्जे, परिदान, निपटारे या छोड़े जाने के संबंध में आदेश करने की अधिकारिता होगी और तत्समय प्रवृत किसी भी अन्य विधि में अन्तर्विष्ट किसी प्रतिकूल बात के होने पर भी, किसी भी अन्य न्यायालय, अधिकरण या अन्य प्राधिकरण को नही होगी" की पालना में जब्तसुदा 8 बैल के खरीद मूल्य का जमानतनामा व उसी मूल्य का सुपुर्दगीनामा पेश करने पर निम्नशर्तों के अधीन प्रार्थीगण को लौटाने का आदेश दिया जाता है:–

1–उक्त 8 बैलों का न्यायालय में चल रहे प्रकरण का निस्तारण होने न होने तक बेचान नही किया जायेगा।
2–उक्त 8 बैलों का वध नही किया जायेगा।
3–उक्त 8 बैलों की मृत्यु होने की स्थिति में पोस्टमार्टम रिपोर्ट इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करनी होगी।

लगातार.....

जिला कलक्टर, जोधपुर (राज.)

थानाधिकारी कुडी भगतासनी को आदेशित किया जाता है कि वे उक्त जब्तसुदा 8 बैलों को प्रार्थीगण के द्वारा उनके समक्ष उक्त आदेश की पालना में बैलों के खरीद मूल्य का जमानतनामा एवं उसी मूल्य का सुपुर्दगीनामा पेश करने पर उक्त वर्णित संबंधित गोशाला को सुपुर्द किये गये उक्त 8 बैलों को संबंधित गोशाला से प्रार्थीगण को लौटा/सुपुर्द कर दिया जाय।

आदेश आज दिनांक 29.07.2025 को सुनाया गया व हस्ताक्षरित किया गया।

(गौरव अग्रवाल)
जिला कलक्टर, जोधपुर
जिला कलक्टर, जोधपुर (राज.)